# न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री लक्ष्मी नारायण मीणा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

**क्रमांक/वि.अ. 224/19/अजमेर (2019/00224)**

विभागीय अपील द्वारा श्री महेश चन्द गोयर, वाहन चालक, जिला पूल अजमेर हाल वाहन चालक जिला रसद अधिकारी, अजमेर जिला अजमेर विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर, अजमेर दिनांक 04–06–2019 जिसके द्वारा अपचारी वाहन चालक को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।

उपस्थितः– श्री महेश चन्द गोयर, वाहन चालक, जिला रसद अधिकारी, अजमेर जिला अजमेर विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर, अजमेर।

## निर्णय

दिनांकः– 20.12.2019

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 04–06–2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए उनके नाम दिनांक 22–9–2017 को एक ज्ञापन जारी किया गया। इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गयेः–

**आरोप संख्या एक** :–

आप द्वारा जिला पूल कलेक्ट्रेट, अजमेर में रहने के दौरान आपके सहकर्मी श्री राकेश बनोधा वाहन चालक जिला पूल द्वारा दिनांक 25–8–2017 को शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया कि आप द्वारा उक्त दिनांक को कार्यालय समय में शराब पीकर उनसे (श्री राकेश बनोधा वाहन चालक के साथ) गाली–गलोच की तथा मना करने पर लड़ाई–झगड़ा करने हेतु आमादा हो गये। आपका उक्त कृत्य राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील)

नियम 1958 के विपरीत/अनुशासनहीनता बरतने का द्योतक है जिसके लिए आप जिम्मेदार है, जो दण्डनीय है।

**आरोप संख्या दो** :–

उक्त घटना के क्रम में श्री राकेश बनोधा वाहन चालक जिला पूल द्वारा प्रस्तुत पत्र पर प्रभारी अधिकारी जिला पूल शाखा {अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (शहर) अजमेर} द्वारा पूल शाखा का आकस्मिक निरीक्षण किये जाने पर आप पूल शाखा (कार्यालय जिला कलक्टर, अजमेर) में पीछे के कमरे में शराब पीकर सोये हुए पाये गये। शराब पीकर सोना जाहिर होने पर प्रभारी अधिकारी जिला पूल शाखा {अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (शहर) अजमेर} द्वारा श्रीमान् अति. पुलिस अधीक्षक (शहर) को फोन कर बताये जाने पर सिविल लाईन थाने के दो पुलिस कर्मी आपको उठाकर पुलिस चौकी बस स्टेण्ड लेकर गये तथा ज0ला0ने0 चिकि0 अजमेर से मेडिकल कराया। मेडिकल रिपोर्ट में भी आप द्वारा शराब का सेवन करना पाया गया। आपका उक्त कृत्य राजकार्य के दौरान शराब पीकर साथी कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार करा राजकार्य के प्रति घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता का द्योतक है। जिसके लिए आप जिम्मेदार है।

अपीलार्थी को 15 दिवस के अन्दर लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इन्होंने निर्धारित अवधि में लिखित अभिकथन प्रस्तुत कर लगाये गये आरोप से असहमति व्यक्त की। इसलिए जिला कलक्टर, अजमेर ने अपीलान्ट को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देते हुए इसके लिए तारीख 28.1.19 व 18.2.19, 25.3.19 निश्चित की गई। इस पेशी पर अपचारी वाहन चालक उपस्थित हुआ। जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा अपचारी वाहन चालक को सुनने के पश्चात दिनांक 04–06–2019 को आदेश पारित किया जिसमें अपीलार्थी को जांच अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, अजमेर) द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट दिनांक 11–12–2017 से सहमति व्यक्त करते हुए उक्त प्रकरण में दोषी मानकर उनकी दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का दण्ड दिया। जिला कलक्टर, अजमेर के उक्त दण्डादेश को विचाराधीन अपील में चुनौती दी गई है।

अपील दर्ज की जाकर अपीलार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा जिला कलक्टर, अजमेर का रेकार्ड व टिप्पणी प्राप्त की गई। अपीलान्ट को व्यक्तिशः सुना गया इनका कथन है कि जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 04–06–2019 विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य होने के कारण दण्डादेश को निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपचारी वाहन चालक ने अपील में एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान कथन किया कि जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा प्रेषित ज्ञापन प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में अपीलार्थी द्वारा निर्धारित अवधि दिनांक 18–10–2017 को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर दिया गया था। जिला कलक्टर अजमेर ने स्पष्टीकरण में वर्णित बिन्दुपर विचार किये बिना ही आरोपों की विस्तृत जांच कराकर उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया। जांच अधिकारी ने राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के उप नियम 5, 6, 7 व 8 में अंकित आज्ञापक प्रावधानों की पालना किये बिना जांच पूर्ण कर जांच रिपोर्ट जिला कलक्टर अजमेर को प्रेषित कर दी। जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा जांच रिपोर्ट से सहमति व्यक्त करते हुए दण्डादेश दिनांक 04–06–2019 पारित कर अपीलार्थी की दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित कर दिया गया।

व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान अपीलार्थी ने यह भी कथन किया जांच अधिकारी ने विभागीय पैरोकार द्वारा जांच में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों पर स्वीकृति/अस्वीकृति अंकित नहीं करवाई एवं ना ही विभागीय पैरोकार द्वारा जांच के दौरान विभागीय गवाहों की सूची ही अपीलार्थी को दिलवाई गई। अपीलार्थी के विरूद्ध जो आरोप लगाये गये है वे अस्पष्ट व अपूर्ण है। प्राथमिक जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर ही आरोप स्थापित किये जा सकते है। आरोप पत्र में यह अंकित नहीं किया गया है कि अपीलार्थी ने ड्यूटी पर रहकर शराब का सेवन किस स्थान पर एवं किसके सामने किया तथा किस डॉक्टर से अपीलार्थी के शरीर का मेडिकल मुआयना कराया गया। जिला कलक्टर, अजमेर ने आरोपों को प्रमाणित मानने का कोई कारण अंकित नहीं किया केवल यह अंकित किया कि मैं जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन से सहमत हूं। इस प्रकार जिला कलक्टर अजमेर का आदेश सीसीए रूल्स 1958 के नियम 16 (9) के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलार्थी के विरूद्ध एक ही आरोप लगाया गया है दूसरा आरोप प्रथम आरोप का ही रिपीटेशन मात्र है। आरोप यह है कि आप द्वारा जिला पूल कलेक्ट्रेट, अजमेर में रहने के दौरान आपके सहकर्मी श्री राकेश बनोधा वाहन चालक जिला पूल द्वारा दिनांक 25–8–2017 को शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया कि आप द्वारा उक्त दिनांक को कार्यालय समय में शराब पीकर उनके साथ गाली गलोच की तथा मना करने पर लड़ाई झगड़ा करने हेतु आमादा हो गये। इस संबंध में अपीलार्थी का कथन है कि श्री राकेश बनोधा वाहन चालक आदतन शिकायतकर्ता व लड़ाकू–झगड़ालू प्रवृति का है तथा एक बार जेल भी जा चुका है। श्री राकेश बनोधा द्वारा अपीलार्थी के

विरूद्ध हो शिकायत की है वह सरासर गलत व झूठी है। अपीलार्थी फौज से सेवानिवृत कर्मचारी है और अनुशासन में रहकर अपनी ड्यूटी करना उसकी आदत है जबकि राकेश बनोधा लडाकू प्रवृति का है जिससे सारे कर्मचारी परेशान है और आये दिन किसी न किसी से झगड़ा करता रहता है। ऐसे व्यक्ति की शिकायत पर अपीलार्थी को आरोपित किया गया है जो आधारहीन है। जांच अधिकारी को उक्त तथ्यों से अवगत कराये जाने के बावजूद भी अपीलार्थी के विरूद्ध लगाया गया आरोप प्रमाणित माना है जो किसी भी स्थिति में उचित एवं विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है।

उन्होंने आरोप संख्या 2 के संबंध में कथन किया कि अपीलार्थी अपनी ड्यूटी के दौरान कभी भी शराब का सेवन नहीं करता है। जहां तक जिला पूल के पीछे स्थित कमरे में सोने का प्रश्न है तो अपीलार्थी हृदय एवं मधुमेह रोग से पीड़ित है जिसके कारण अपीलार्थी को कईग तरह की गोलियां लेनी पड़ती है और इन गोलियों के कारण नींद सी आने लगती है। अपीलार्थी ने जब गोलियों का सेवन किया तो नींद सी आने लगी इसलिए पूल शाखा के पीछे बने कमरे में लेटा हुआ था। अचानक ही राकेश बनोधा की गलत शिकायत के आधार पर कुछ पुलिस कर्मियों को बुला लिया गया। जब पुलिस द्वारा उठाया गया तो अपीलार्थी तुरन्त उठ गया और उनके साथ जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय में चला गया। अपीलार्थी का कोई मेडिकल मुआयना नहीं किया गया और ना ही ब्लड की जांच की गई केवल एक चिकित्सक द्वारा पूछे गये प्रश्न का जवाब दिया गया। जांच में अपीलार्थी को मेडिकल रिपोर्ट की प्रतिलिपि नहीं दी गई परन्तु जानकारी में आया है कि मेडिकल रिपोर्ट में  मात्र मूंह से शराब की बदबू आना अंकित किया है जिसके लिए अपीलार्थी का निवेदन है कि अपीलार्थी फौज से सेवानिवृत है और घर पर रहकर अवश्य रात्रि के दौरान कभी कभी शराब का सेवन करता है। जिसकी बदबू प्रातः तक रहती है। जब तक खून की जांच में शराब का अंश नहीं पाया जाता तब तक मेडिकल रिपोर्ट जायज नहीं कही जा सकती है। ऐसी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी को दण्डित किया जाना किसी भी स्थिति में उचित एवं विधिसम्मत नहीं है। जांच अधिकारी एवं अनुशासनिक अधिकारी ने किसी भी स्वतंत्र गवाह के बयान नहीं लिये जिससे स्पष्ट हो सके कि अपीलार्थी ने कलेक्ट्रेट परिसर में ड्यूटी के दौरान शराब पीते हुए देखा हो। अपीलार्थी को आरोप संख्या 2 के लिए दोषी माना गया है जो कि उचित एवं विधिसम्मत नहीं है।

उन्होंने बहस के दौरान यह भी तर्क दिया कि अपीलार्थी को जिला रसद अधिकारी, अजमेर के समक्ष वाहन चालक के रूप में लगा रखा है जो कि एक महिला अधिकारी थी। यदि तत्समय अपीलार्थी द्वारा शराब का सेवन किया होता तो अवश्य ही जिला रसद अधिकारी को इसकी बदबू आती। अपीलार्थी द्वारा जिला

रसद अधिकारी को उनके निवास पर छोडा गया। अतः उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि राकेश बनोधा द्वारा अपीलार्थी को फसाने के लिए एक बहुत बड़ा षडयंत्र रचकर अपीलार्थी को फसाने की कोशिश की गई है। जिला कलक्टर महोदय द्वारा दण्डादेश पारित करने से पूर्व विधि में स्थापित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना एवं अपीलार्थी की सुनवाई की मात्र पूर्ति कर दण्डादेश पारित कर अपचारी वाहन चालक की दो वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने का दण्ड दिया है। अपीलांट के विरूद्ध लगाया गया आरोप किसी भी स्तर पर उचित नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर जिला कलक्टर, महोदय, अजमेर द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 04–06–2019 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

जिला कलक्टर, अजमेर उनके पत्र क्रमांक कअ/संस्था/जांच/18/5818 दिनांक 01–10–2019 द्वारा टिप्पणी प्रेषित की जिसमें उल्लेखित किया कि बिन्दु संख्या 1 में अपीलार्थी द्वारा उठाये गये तथ्य सही नहीं है। इस कार्यालय द्वारा पारित दण्डादेश सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत निहित प्रावधानानुसार रिकार्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रमाणों एवं वक्त जांच गवाहों के बयानों के आधार पर पारित किया गया है। अतः अपील का उक्त बिन्दु निरस्त योग्य है।

जिला कलक्टर, अजमेर की टिप्पणी में अपील के बिन्दु संख्या 2 व 3 को भी अस्वीकार किया गया है जिसमें उनका कहना है कि वक्त जांच अधिकारी ने सीसीए नियम 16 (4)(क)में निहित प्रावधानों के अनुरूप दिनांक 15–11–2017 को अपीलार्थी को आरोप सुनाये जिस पर अपीलार्थी द्वारा आरोप अस्वीकार किये गये। उक्त आरोपों के संबंध में विभागीय पैरोकार तहसीलदार, अजमेर द्वारा प्रस्तुत गवाहान द्वारा जांच अधिकारी के समक्ष दिनांक 24–11–2017 को दिये गये बयानों के वक्त अपीलार्थी स्वयं उपस्थित था किन्तु उसके द्वारा किसी गवाह से जिरह नहीं की गई एवं स्वयं द्वारा बचाव पैरोकार की आवश्यकता नहीं होने का लिखित अभिकथन नहीं है।

जिला कलक्टर, अजमेर की टिप्पणी में अपील के बिन्दु संख्या 4 को भी अस्वीकार किया गया है जिसमें उनका कहना है कि बिन्दु संख्या 4 में अंकित तथ्य सही नहीं है। अपीलार्थी के विरूद्ध अधिरोपित आरोप प्रभारी अधिकारी जिला पूल एवं अति जिला कलक्टर (शहर) अजमेर द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट, अपीलार्थी के कराये गये मेडिकल रिपोर्ट में स्पष्ट वर्णन किया गया है।

जिला कलक्टर, अजमेर की टिप्पणी में अपील के बिन्दु संख्या 5 को भी अस्वीकार किया गया है जिसमें उनका कहना है कि बिन्दु संख्या 5 में अंकित तथ्य सही नहीं है अपीलार्थी के विरूद्ध पारित दण्डादेश पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर पूर्ण अध्ययन एवं मनन करने के उपरान्त नियमों में निहित प्रावधानों के अनुरूप पारित किया गया है। अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने अपचारी वाहन चालक द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उठाये गए बिन्दुओं पर विचार किया तथा जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक टिप्पणी व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे स्पष्ट है कि जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत आरोप से आरोपित कर दो वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि नियमों एवं परिपत्रों में उल्लेख है कि किसी भी लोक सेवक के विरूद्ध विभागीय जांच प्रारम्भ करने से पूर्व प्रारम्भिक जांच किया जाना आवश्यक है। प्रारम्भिक जांच करने के आदेश करने वाले अधिकारी यदि स्वयं जांच करने के लिए समय नहीं निकाल सके तो वह किसी अन्य वरिष्ठ अधिकारी को जांच सौपें। जांच करने का आदेश जिस अधिकारी के पदनाम से किया जावे, जांच उसी अधिकारी द्वारा की जाए। ऐसा अधिकारी आगे किसी अन्य अधिकारी से जांच नहीं करायेगा। जांच अधिकारी की राय में यदि शिकायत प्रथम दृष्टिया साबित होना पाई जाती है तो वह जांच प्रतिवेदन के साथ दोषी लोक सेवक के विरूद्ध आरोप पत्र व आरोप विवरण पत्र का प्रारूप भी बनाकर भिजवायेगा।

उक्त प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के विरूद्ध प्रारम्भिक जांच नहीं की गई एवं न ही उसे कोई कारण बताओं नोटिस जारी कर जवाब प्राप्त किया गया। अपीलार्थी को केवल श्री राकेश बनोधा वाहन चालक शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर दो आरोपों से आरोपित किया गया। पत्रावली में संलग्न बयानों में भी अपीलार्थी द्वारा कार्यालय समय में शराब का सेवन किया गया था, का कोई उल्लेख नहीं है। यहां तक कि श्री अरविंद सेंगवा अति0 जिला मजिस्ट्रेट (शहर) अजमेर द्वारा भी बयान में अंकित नहीं कराया है कि अपीलार्थी द्वारा कार्यालय में शराब का सेवन किया गया है। साथ ही अपीलार्थी ने उनको कोई अपशब्द या अमानवीय भाषा का उपयोग किया हो इसका भी उल्लेख नहीं है। श्री नेमीचन्द सुनारीवाल एवं श्री राकेश बनोधा ने अपने बयानों में अपीलार्थी के दोपहर में खाना खाकर लेटे होने का उल्लेख किया हुआ है। श्री राकेश बनोधा शिकायतकर्ता ने भी अपने बयानों में अपीलार्थी के साथ

प्रस्तुत शिकायत के बाद उसका व्यवहार अच्छा होने का उल्लेख किया है। मेडिकल ज्युरिष्ट, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर की रिपोर्ट दिनांक 25–8–2017 में अपीलार्थी की स्थिति सामान्य बताई गयी है।

अपीलार्थी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान यह भी कथन किया कि तत्समय तबीयत ठीक नहीं होने के कारण खासी की दवाई लेकर लेट गया था। जिसके कारण नींद आ रही थी। मेरे द्वारा किसी से भी झगड़ा नहीं किया गया है और न ही मेरे द्वारा किसी को गाली गलोच की गई है।

उक्त प्रकरण में अपचारी वाहन चालक को जारी आरोप पत्र एवं अपचारी वाहन चालक द्वारा दिये गये आरोप के प्रत्युत्तर तथा अपचारी वाहन चालक द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई में प्रस्तुत किये गये तथ्यों का गहराई से अध्ययन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि अपचारी वाहन चालक पर आरोप पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं पाये जाते है। अतएव श्री महेश चन्द गोयर अपचारी वाहन चालक के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत पारित दण्डादेश दिनांक 04–06–2019 को निरस्त किया जाकर अपचारी वाहन चालक को भविष्य में सावधानीपूर्वक कार्य करने की हिदायत दिया जाना न्यायोचित होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपचारी वाहन चालक की अपील स्वीकार की जाती है तथा जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन दण्डादेश क्रमांक कअ/ संस्था/एफ (सीसीए) (16)/19/181 दिनांक 04–06–2019 विधिसम्मत नहीं होने से अपास्त किया जाता है तथा अपीलार्थी वाहन चालक श्री महेश चन्द गोयर को भविष्य में सावधानीपूर्वक कार्य करने की हिदायत दी जाती है। निर्णय की सूचना संबंधित को दी जावें।

**(लक्ष्मी नारायण मीना),**
**संभागीय आयुक्त,**
**अजमेर**



Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Narain Meena
Date: 2019.12.26 18:11:18 IST
Reason: SelfAttested
Location: